

राज्य परिवहन प्राधिकार

- 1- आवेदक एवं आपत्तिकर्ता स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा पक्ष समर्थन हेतु सुनवाई दिनांक को उपस्थित होंगे। अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
- 2- नियम 72 (3) में आर्पणित जानकारी एवं आपत्तियाँ दिनांक 29.08.2018 अथवा स्तंभाकारकता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। तदनुसार सुनवाई के दिन भी प्रस्तुत की जा सकती है।
- 3- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
- 4- आवेदक पूर्व में धारित वाहनों व अनुज्ञाओं के सम्बन्ध में शपथ पत्र पर जानकारी प्रदाय करे कि पूर्व में उसके अथवा परिवार के स्वामित्व में कितने टेम्पो श्रेणी के वाहन है।

कमांक	आवेदक का नाम एवं पता मोबाइल नं.	आवेदित मार्ग कमांक	आवेदक या प्रतिनिधि का नाम	आपत्तिकर्ता का नाम	रिमांक
1	श्री रवीश खान पुत्र स्व. श्री नवाब खान पता- डेडे बाले मुल्तानी के पास राज्य परिवहन प्रा. नं. 9203895219				

नवीन प्राप्त आवेदन पत्र

नवीन स्थाई परमिट कम्प्लेक्स नेचुरल गैस से चलित लिफ्टिया टेम्पो हेतु एनोन्स (शाहरी मार्ग)

(माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ राज्यालय में ललित याचिका WP No. 573/2014 में धारित निर्देश के क्रम में)

स्थान :- मोदीमहल स्थित परिवहन विभाग का बैठक कक्ष

राज्य परिवहन प्राधिकार राज्यालय समाम राज्यालय की मीटिंग दिनांक 14.09.2018 समय 12.00 बजे

कमांक / 2609 / RTA/2018

राज्यालय दिनांक 6-9-18

कार्यालय सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार राज्यालय समाम राज्यालय